

सोशल स्टॉक एक्सचेंज
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
(एफएक्यू)

सामाजिक विनिमय की प्रधानता

1. सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) क्या है?

उत्तर : सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) मौजूदा स्टॉक एक्सचेंज का एक अलग सेगमेंट है, जो सामाजिक उद्यम (उद्यमों) (सामाजिक उद्यम पर अधिक जानकारी के लिए कृपया प्रश्न संख्या 2 देखें) को स्टॉक एक्सचेंज की प्रक्रिया के जरिए लोगों से फंड जुटाने में मदद करता है। एसएसई सामाजिक उद्यमों और फंड प्रदाताओं के बीच माध्यम का काम करता है और मापनीय सामाजिक प्रभाव पैदा करने वाली संस्थाओं को चुनने में उनकी मदद करता है।

कुछ प्रकार के सामाजिक उद्यम, जैसे कि लाभ-निरपेक्ष संगठन (एनपीओ) जो पंजीकरण मानदंडों को पूरा करते हैं (कृपया पंजीकरण मानदंडों पर विवरण के लिए प्रश्न 9 देखें), एसएसई पर पंजीकरण कर सकते हैं और अपने सामाजिक प्रभाव के बारे में निरंतर जानकारी मुहैया कराने का वचन ले सकते हैं। ऐसे एनपीओ एसएसई के माध्यम से धन जुटाने का विकल्प चुन सकते हैं या नहीं भी चुन सकते हैं, लेकिन वे स्टॉक एक्सचेंजों पर सामाजिक प्रभाव सहित अन्य मामलों पर जानकारी साझा करना जारी रखेंगे।

2. सोशल स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में सामाजिक उद्यम क्या है?

या

कौन सी संस्था स्वयं को सामाजिक उद्यम के तौर पर चिह्नित कर सकती है?

उत्तर : सोशल स्टॉक एक्सचेंज सामाजिक उद्यम के निम्नलिखित दो प्रकारों की पहचान करता है जो सकारात्मक सामाजिक प्रभाव का निर्माण करने की दिशा में काम करते हुए सामाजिक उद्देश्यों की प्राथमिकता को पूरा कर रहे हैं।

- i. लाभ-निरपेक्ष संगठन (विवरण के लिए कृपया प्रश्न संख्या 5 देखें।)
- ii. लाभ-सापेक्ष यानी लाभ के लिए काम करने वाले सामाजिक उद्यम के लिए (विवरण के लिए कृपया प्रश्न संख्या 6 देखें।)

सामाजिक उद्देश्य की प्रधानता स्थापित करने के लिए, किसी भी संस्था [चाहे वह लाभ-निरपेक्ष संगठन (एनपीओ) या लाभ-सापेक्ष सामाजिक उद्यम (एफपीआई) हो] को आईसीडीआर विनियमों के विनियम 292ई(2) के तहत उल्लिखित सभी तीन मानदंडों को पूरा करना चाहिए। संक्षेप में, इन मानदंडों के तहत किसी भी संस्था को विनियम 292ई (2) (ए) के तहत निर्धारित गतिविधियों में शामिल होना चाहिए, और उसे वंचित और हाशिए पर पड़ी आबादी या क्षेत्र को लक्षित करना चाहिए, जिन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों की विकास प्राथमिकताओं में कमजोर प्रदर्शन किया है।

इसके अलावा, एक सामाजिक उद्यम के रूप में पहचाने जाने के लिए यह जरूरी है कि संस्था की तरफ से की जाने वाली 67% गतिविधियाँ योग्य गतिविधियाँ होंगी जो लक्षित आबादी के लिए होंगी और यह निम्नलिखित में किसी एक के जरिए प्रदर्शित होंगी :

- i. तत्काल पिछले तीन साल के राजस्व के औसत का कम-से-कम 67% राजस्व लक्षित आबादी के सदस्यों के लिए उपयुक्त गतिविधियों को मुहैया कराने से आया हो।

या

- ii. लक्षित आबादी के सदस्यों को उपयुक्त गतिविधियाँ मुहैया कराने के लिए तत्काल पिछले 3 वर्ष के औसत खर्च का कम से कम 67% खर्च किया गया हो;

या

- iii. लक्षित आबादी के सदस्य जिन्हें उपयुक्त गतिविधियाँ मुहैया कराई गई हैं, वे कुल ग्राहक आधार और/या लाभार्थियों की कुल संख्या के तत्काल 3 वर्ष पूर्व के औसत का कम से कम 67% हो।

तथापि, किफायती आवास को छोड़कर कॉरपोरेट फाउंडेशंस, राजनीतिक या धार्मिक संगठन या गतिविधियाँ, पेशेवर या व्यापार संघ, बुनियादी ढाँचा और आवास कंपनियाँ सामाजिक उद्यम के रूप में पहचाने जाने के योग्य नहीं होंगी।

3. सामाजिक उद्यमों के लिए अनिवार्य न्यूनतम रिपोर्टिंग मानक क्या हैं?

उत्तर : सूचनाओं को मुहैया कराए जाने का न्यूनतम मानक कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ढाँचों की मापन रूपरेखा के मानदंडों के तत्वों से तैयार और विकसित किया गया है, जिसे लागू किया जा रहा है। सूचनाओं को मुहैया कराए जाने के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं :

- i. **खंड 1 - रणनीतिक प्रयोजन और लक्ष्य निर्धारण**
 - (a) हल की जाने वाली सामाजिक समस्या
 - (b) सबसे बड़ा लक्षित खंड जिसकी मदद की जानी है
 - (c) समस्या को हल करने का दृष्टिकोण
- ii. **खंड 2 - सामाजिक प्रभाव अंकतालिका**
 - (a) सहायता-प्राप्त लक्षित सेगमेंट का दायरा
 - (b) औसत व्यक्ति पर प्रभाव की तीव्रता
 - (c) आय, सामाजिक न्याय और विविधता के आयाम
- iii. **खंड 3 - सामान्य सूचना**
 - (a) शासी निकाय के सदस्य
 - (b) पूर्व फंडिंग के इतिहास का प्रदर्शन
 - (c) वित्तीय, पंजीकरण या लाइसेंस

4. कौन से सामाजिक उद्यम पंजीकृत होने के लिए या सोशल स्टॉक एक्सचेंज/स्टॉक एक्सचेंज के जरिए पूँजी जुटाए जाने के योग्य नहीं है?

उत्तर : एक सामाजिक उद्यम पंजीकृत होने या फिर सोशल स्टॉक एक्सचेंज / स्टॉक एक्सचेंज के जरिए पूँजी जुटाए जाने के योग्य नहीं होगा, यदि -

- a) इसके किसी भी प्रवर्तक, प्रवर्तक समूह या निदेशकों या विक्रेता शेयरधारकों (लाभकारी सामाजिक उद्यम के मामले में) या न्यासियों को सेबी द्वारा प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया है;
- b) यदि सामाजिक उद्यम का कोई प्रवर्तक या निदेशक या न्यासी किसी अन्य कंपनी या सामाजिक उद्यम का प्रवर्तक या निदेशक है, जिसे सेबी द्वारा प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित किया जा चुका है;
- c) यदि सामाजिक उद्यम या उसका कोई प्रवर्तक या निदेशक या न्यासी इरादतन चूककर्ता (विलफुल डिफॉल्टर) या धोखेबाज कर्जदार है;
- d) यदि इसका कोई प्रवर्तक या निदेशक या न्यासी भगोड़ा आर्थिक अपराधी है।
- e) यदि सामाजिक उद्यम या इसके किसी प्रवर्तक या निदेशक या न्यासी को गृह मंत्रालय या

केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या धर्मार्थ आयुक्त या किसी अन्य वैधानिक निकाय द्वारा अपनी गतिविधियों को चलाने या धन जुटाने से प्रतिबंधित किया गया है।

5. सोशल स्टॉक एक्सचेंज के मामले में लाभ-निरपेक्ष संस्था क्या है?

या

किन संस्थाओं को सोशल स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में लाभ-निरपेक्ष संस्था के रूप में चिन्हित किया जा सकता है?

उत्तर : लाभ-निरपेक्ष संस्था वह संस्था है जो एक सामाजिक उद्यम के रूप में पहचाने जाने के मानदंडों को पूरा करती है (कृपया प्रश्न 2 देखें) और निम्नलिखित में से कोई संस्था है :

- i. संबंधित राज्य के लोक न्यास कानून के तहत पंजीकृत धर्मार्थ ट्रस्ट;
- ii. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के तहत पंजीकृत एक धर्मार्थ सोसायटी;
- iii. कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के तहत निगमित कंपनी;
- iv. कोई अन्य संस्था जिसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

6. सोशल स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में लाभार्थ सामाजिक उद्यम क्या है?

या

सोशल स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में किस संस्था को लाभार्थ सामाजिक उद्यम के रूप में पहचाना जा सकता है?

उत्तर : लाभार्थ यानी लाभ-सापेक्ष सामाजिक उद्यम एक इकाई है जो एक सामाजिक उद्यम के रूप में पहचाने जाने के मानदंडों को पूरा करती है (कृपया प्रश्न 2 देखें) और निम्नलिखित संस्थाओं में से कोई है :

- i. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत लाभार्थ परिचालन करने वाली कंपनी, और इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के तहत निगमित कंपनी शामिल नहीं है;

ii. लाभ के लिए काम कर रहा निगमित निकाय।

7. वे कौन से तरीके हैं जिनसे कोई लाभ-निरपेक्ष संगठन सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से धन जुटा सकता है?

उत्तर : सोशल स्टॉक एक्सचेंज के साथ पंजीकृत होने के बाद कोई लाभ-निरपेक्ष संगठन सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर इन तरीकों से धन जुटा सकता है :

- i. जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट जारी कर [निजी प्लेसमेंट या सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से]
- ii. म्युचुअल फंड योजनाओं के माध्यम से दान [जैसा कि सेबी निर्दिष्ट किया जाएगा]
- iii. कोई अन्य साधन जो सेबी द्वारा भविष्य में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

8. क्या सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से धन जुटाने के लिए लाभ-निरपेक्ष संगठन के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य है?

उत्तर : हाँ, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से धन जुटाने से पहले लाभ-निरपेक्ष संगठन के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य है।

लेकिन, कोई लाभ-निरपेक्ष संगठन किसी अन्य माध्यम से धन जुटाना जारी रख सकता है, जैसा कि कानून के तहत अनुमति है, चाहे वह सोशल स्टॉक एक्सचेंज के साथ पंजीकृत हो या नहीं।

9. लाभ-निरपेक्ष संगठनों के संबंध में सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर पंजीकरण के लिए क्या मानदंड हैं?

उत्तर : सेबी ने 19 सितंबर, 2022 के अपने परिपत्र के माध्यम से सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर पंजीकरण कराने के लिए लाभ-निरपेक्ष संगठन के लिए कुछ न्यूनतम आवश्यकताएं निर्धारित की हैं। संक्षेप में, इन मानदंडों में एनपीओ की तीन वर्ष की अनिवार्य आयु, आयकर अधिनियम की धारा 12ए/12एए/12एबी के तहत वैध प्रमाण पत्र, वैध 80जी पंजीकरण, वार्षिक खर्च के रूप में न्यूनतम 50 लाख रुपये और एनपीओ में पिछले साल का न्यूनतम 10 लाख रुपये का फंड आदि शामिल हैं।

सोशल स्टॉक एक्सचेंजों को लाभ-निरपेक्ष संगठन के पंजीकरण के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं निर्धारित करने की भी अनुमति है।

10. क्या सोशल स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत लाभ-निरपेक्ष संगठनों के लिए सूचीबद्ध होना अनिवार्य

है?

उत्तर : आईसीडीआर विनियमों के विनियम 292एफ के तहत सोशल स्टॉक एक्सचेंज के साथ पंजीकृत लाभ-निरपेक्ष संगठनों के लिए लिस्टिंग अनिवार्य नहीं है। हालाँकि सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से धन जुटाने से पहले इसे अनिवार्य रूप से सोशल स्टॉक एक्सचेंज के साथ पंजीकृत कराना होगा।


एक लाभ-निरपेक्ष संगठन सोशल स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकरण कराना और इसके माध्यम से धन नहीं जुटाने का विकल्प चुन सकता है। यह किसी अन्य माध्यम से भी धन जुटाना जारी रख सकता है।

11. सोशल स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से लाभ-निरपेक्ष संगठनों के लिए कौन से व्यवस्थित वित्तीय उत्पाद या प्रॉडक्ट उपलब्ध हैं?

उत्तर : एनपीओ के लिए प्रतिभूतियों/वित्त जुटाने के तरीकों की सूची नीचे दी गई है :

- i. **डैवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड** - ये संरचित वित्त उत्पाद हैं जहाँ एक परियोजना के पूरा होने पर जो पूर्व-सहमत सामाजिक मानकों को पूर्व-सहमत दरों पर पूरा करती है, और परियोजना के सेवा प्रदाता को दानकर्ता से अनुदान प्राप्त होता है, जिसे "आउटकम फंडर्स" कहा जाता है। .

डीआईबी संरचना का मूल सिद्धांत यह है कि एनपीओ को पूर्व-सहमत लागतों/दरों पर पूर्व-सहमत सामाजिक मानकों पर वितरित करने के बाद अनुदान दिया जाता है। सामाजिक मानक प्राप्त होने पर अनुदान देने वाले दाता को "आउटकम फंडर" कहा जाता है। यह देखते हुए कि आउटकम फंडर काम के बाद भुगतान करता है, एनपीओ को अपने परिचालनों को वित्तपोषित करने के लिए धन जुटाने की आवश्यकता है। ऐसे फंडर को "रिस्क फंडर" कहा जाता है। एक रिस्क फंडर न केवल पूर्व भुगतान के आधार पर संचालन के वित्तपोषण को सक्षम बनाता है, बल्कि एनपीओ द्वारा सामाजिक मानकों की डिलीवरी न करने का जोखिम भी उठाता है। इस जोखिम की भरपाई करने के लिए, अगर सामाजिक मानकों को पूरा कर दिया जाता है तो रिस्क फंडर आम तौर पर एक छोटा सा रिटर्न कमाता है।



12. क्या सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से धन जुटाने के लिए लाभार्थ सामाजिक उद्यमों के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य है?

उत्तर : नहीं, लाभ के मकसद से चलने वाले सामाजिक उद्यम को एसएसई के माध्यम से धन जुटाने से पहले सोशल स्टॉक एक्सचेंज के साथ पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, लाभकारी सामाजिक उद्यम एसएसई के माध्यम से धन जुटाने से पहले आईसीडीआर विनियमों, एआईएफ विनियमों के सभी प्रावधानों का पालन करेगा।

13. लाभ के मकसद वाले सामाजिक उद्यम सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से धन कैसे जुटा सकता है?

उत्तर : एक लाभार्थ सामाजिक उद्यम निम्नलिखित माध्यम से धन जुटा सकता है -

- i. इक्विटी शेयरों को जारी कर (मेन बोर्ड, एसएमई प्लेटफॉर्म या स्टॉक एक्सचेंज के इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म जैसा भी मामला हो)।
- ii. सोशल इंपैक्ट समेत वैकल्पिक निवेश फंड को इक्विटी शेयर जारी कर।
- iii. डेट विपत्रों को जारी कर।
- iv. किसी अन्य विकल्प से जिसे सेबी भविष्य में निर्दिष्ट कर सकता है।

यदि लाभार्थ संगठन मेन बोर्ड, एसएमई प्लेटफॉर्म या स्टॉक एक्सचेंज के इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर इक्विटी शेयर जारी करते हैं, जैसा भी मामला हो, तो इसे सेबी (आईसीडीआर विनियम) 2018 के तहत अनिवार्य रूप से संबंधित प्लेटफॉर्म के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करने की आवश्यकता होगी।

इसी तरह, एआईएफ को इक्विटी शेयर जारी करने, ऋण प्रतिभूतियाँ जारी करने आदि के लिए संबंधित सेबी विनियमों के अनुपालन की आवश्यकता होगी।

14. क्या खुदरा निवेशक समाजिक उद्यम द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में जारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं?

उत्तर : खुदरा निवेशकों को मेन बोर्ड के तहत लाभार्थ सामाजिक उद्यमों द्वारा प्रस्तावित प्रतिभूतियों में ही निवेश करने की अनुमति है। अन्य सभी मामलों में, केवल संस्थागत निवेशक और गैर-संस्थागत निवेशक सामाजिक उद्यमों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं।

“सेबी (पूँजी एवं डिस्क्लोज़र जरूरतों के निर्गम) नियम, 2018 के मुताबिक, खुदरा व्यक्तिगत निवेशक वह है कि जोकि दो लाख रुपये तक के मूल्य के लिए विशिष्ट प्रतिभूतियों के लिए बोली लगा सकता है या आवेदन कर सकता है और गैर-संस्थागत निवेशक को खुदरा व्यक्तिगत निवेशक और योग्य संस्थागत खरीदार की बजाय अलग से निवेशक के तौर पर परिभाषित किया गया है।

15. क्या एक लाभार्थ संगठन किसी वैकल्पिक निवेश कोष के लिए इक्विटी शेयर जारी कर सकता है?

उत्तर : हाँ। एक गैर सूचीबद्ध लाभकारी संगठन किसी वैकल्पिक निवेश फंड को इक्विटी शेयर जारी कर सकता है।

16. क्या मैं पंजीकरण के लिए योग्य हो सकता हूँ, यदि पिछले वर्ष मेरी 67% गतिविधियाँ पात्र गतिविधियों की सूची में से एक या एक से अधिक मदों में थीं, लेकिन मेरे तत्काल पूर्व 3 साल के औसत से 67% कम है?

उत्तर : नहीं, आप एसएसई पर पंजीकरण या लिस्टिंग के लिए तब तक आवेदन करने के योग्य नहीं हैं जब तक कि आपकी गतिविधियों का 3 साल का औसत आपकी कुल गतिविधियों के 67% से अधिक या बराबर नहीं है।

17. क्या किसी कॉर्पोरेट निकाय के प्रवर्तकों द्वारा प्रवर्तित एनपीओ आवेदन करने के लिए पात्र होगा?

उत्तर : यदि एनपीओ अपने वित्त पोषण के 50% से अधिक के लिए कॉर्पोरेट पर निर्भर है, तो वह आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।

एनपीओ पंजीकरण

18. क्या सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर पंजीकरण कराने से पहले एनपीओ को 3 साल तक परिचालन में रहना आवश्यक है?

उत्तर : हाँ, सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर पंजीकरण करने से पहले एक लाभ-निरपेक्ष संगठन को अनिवार्य रूप से 3 साल के लिए परिचालन में होना आवश्यक है।

19. यह प्रदर्शित करने के लिए किस प्रमाण की आवश्यकता है कि एनपीओ 3 वर्षों से चल रहा है?

उत्तर : यह प्रदर्शित के लिए कि एनपीओ तीन वर्षों से परिचालन में हैं, तीन वर्षों के निगमन प्रमाणपत्र और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

20. क्या कोई एनपीओ, जो एनजीओ दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर पंजीकृत हो सकता है?

उत्तर : नहीं, गैर सरकारी संगठन दर्पण पोर्टल पर एनपीओ के पंजीकरण के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर पंजीकरण अनिवार्य रूप से आवश्यक है।

21. पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों को कौन प्रमाणित करेगा?

उत्तर : दस्तावेजों को सीईओ या शासी निकाय (गवर्निंग बॉडी) के किसी भी दो प्राअधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है।

22. यदि कोई एनपीओ एसएसई पर पंजीकृत होता है, तो क्या उन्हें सभी अनुपालनों का पालन करना होगा, भले ही वे उस पर किसी इंड्रूमेंट को सूचीबद्ध न करें?

उत्तर : हाँ। एनपीओ को सभी लागू सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और उसके परिपत्र का अनुपालन करना आवश्यक है।

23. क्या यह केवल भारतीय संस्थाओं के लिए है या अंतरराष्ट्रीय एनपीओ भी पंजीकृत हो सकते हैं?

उत्तर : सोशल स्टॉक एक्सचेंज में केवल भारतीय संस्थाएं ही पंजीकरण करा सकती हैं।

24. यदि कोई कॉरपोरेट एक औपचारिक संगठन के गठन के माध्यम से एक एनपीओ को प्रमोट कर रहा है और उसके बाद एनपीओ को एसएसई पर पंजीकृत करना चाहता है, तो क्या इसकी अनुमति है?

उत्तर : नहीं, यदि एनपीओ के लिए अधिकांश धन उक्त कॉरपोरेट से आ रहा है या कॉरपोरेट का एनपीओ में नियंत्रणकारी हिस्सेदारी है, तो इसकी अनुमति नहीं है।

25. क्या एनपीओ के लिए एक वर्ष के बाद पंजीकरण को नवीनीकृत करना संभव होगा यदि उन्होंने एसएसई के माध्यम से पिछले वर्ष में कोई धन नहीं जुटाया है?

उत्तर : हाँ, एनपीओ एक वर्ष के बाद पंजीकरण का नवीनीकरण कर सकता है यदि उन्होंने एसएसई

के माध्यम से पिछले वर्ष में कोई धन नहीं जुटाया है।

बशर्ते कि उन्होंने आवश्यकतानुसार सभी जानकारीयों को सार्वजनिक कर दिया हो।

26. मान लीजिए, हम एक एसई के रूप में पंजीकृत हो जाते हैं, और आगे बढ़ते समय यदि हम किसी भी समय किसी दिशा-निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो संभावित नतीजे क्या होंगे?

उत्तर : अन्य सूचीबद्ध संस्थानों के समान, किसी भी प्रावधानों या दिशानिर्देशों का अनुपालन करने में चूक की स्थिति में, सेबी (एसईबीई) के पास प्रवर्तन कारवाइयाँ, जैसे कि प्रशासनिक चेतावनी जारी करना, सेबी अधिनियम के अध्याय VIA के अंतर्गत अर्थदंड लगाना, या विवर्जन (रोक) और/या अर्थदंड के लिए सेबी अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत कारवाई आरम्भ करने की शक्ति सुरक्षित है।

जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स (शून्य कूपन शून्य मूलधन विपत्र)

27. क्या लाभार्थ संगठन फंड जुटाने के लिए जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स जारी करने के योग्य हैं?

उत्तर : नहीं। जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स केवल सोशल स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत लाभ-निरपेक्ष संगठन द्वारा जारी किए जाएंगे।

28. कौन से लाभ-निरपेक्ष संगठन जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स जारी करने के पात्र हैं?

उत्तर : जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स जारी करने के लिए लाभ-निरपेक्ष संगठनों द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है :

- लाभ-निरपेक्ष संगठन को सोशल स्टॉक एक्सचेंज के साथ पंजीकृत होना चाहिए, और
- जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स का निर्दिष्ट कार्यकाल होना चाहिए और केवल एक विशिष्ट परियोजना या गतिविधि के लिए जारी किया जा सकता है जिसे धन जुटाए जाने वाले दस्तावेज में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा किया जाना है, और
- विशिष्ट परियोजना या गतिविधि जिसके लिए जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स जारी किए जा रहे हैं, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के विनियम 292ई के तहत निर्दिष्ट पात्र गतिविधियों की सूची के अंतर्गत आने चाहिए।

29. क्या लाभ-निरपेक्ष संगठन जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स को निजी तौर पर जारी नहीं कर

सकते हैं?

उत्तर : हाँ। सोशल स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत लाभ-निरपेक्ष संगठन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश फंड) विनियम 2012, के लागू प्रावधानों के तहत पंजीकृत सामाजिक प्रभाव कोष (फंडों) के लिए जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स का निजी निर्गमन भी कर सकता है।

30. एक लाभ-निरपेक्ष संगठन द्वारा जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स को सार्वजनिक रूप से जारी करने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर :

- i. एक लाभ-निरपेक्ष संगठन सोशल स्टॉक एक्सचेंज के साथ फंड जुटाए जाने के मसौदा दस्तावेज को फाइल करेगा जहाँ यह सोशल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट शुल्क के साथ-साथ सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स को सूचीबद्ध करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ पंजीकृत है।
- ii. सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज कम से कम 21 दिनों की अवधि के लिए अपनी वेबसाइट पर फंड जुटाने के मसौदा दस्तावेज उपलब्ध कराएगा।
- iii. सोशल स्टॉक एक्सचेंज, यदि आवश्यक हो, लाभ-निरपेक्ष संगठन से स्पष्टीकरण मांग सकता है।
- iv. सोशल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा लाभ-निरपेक्ष संस्था से मांगे जाने पर, फंड जुटाए जाने के मसौदा दस्तावेज फाइल करने या स्पष्टीकरण प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, सोशल स्टॉक एक्सचेंज लाभ-निरपेक्ष संगठन के लिए फंड जुटाए जाने के मसौदा दस्तावेज पर अपना अवलोकन प्रदान करेगा।
- v. लाभ-निरपेक्ष संगठन सोशल स्टॉक एक्सचेंज के अवलोकनों को फंड जुटाने वाले दस्तावेज के मसौदे में शामिल करेगा और इश्यू खुलने से पहले सोशल स्टॉक एक्सचेंज के साथ अंतिम फंड जुटाने वाला दस्तावेज फाइल करेगा।

जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स के निजी निर्गम के लिए लागू सीमा तक इसी प्रक्रिया का पालन किया जाना है।

31. क्या जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट भौतिक रूप में जारी किया जा सकता है?

उत्तर : नहीं। जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स केवल डिमटेरियलाइज्ड रूप में जारी किए जाएंगे।

32. क्या जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट के निर्गम आकार की कोई सीमा है?

उत्तर : जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए न्यूनतम निर्गम आकार एक करोड़ रुपये और न्यूनतम आवेदन आकार दो लाख रुपये होगा।

33. जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स को सफलतापूर्वक जारी करने के लिए न्यूनतम कितना सब्सक्रिप्शन हासिल करना आवश्यक है?

जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स जारी करने के माध्यम से उठाए जाने वाले प्रस्तावित धन का 75% न्यूनतम सब्सक्रिप्शन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

34. क्या सामाजिक उद्यम सोशल स्टॉक एक्सचेंज से जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्टिंग को समाप्त कर सकता है?

उत्तर : सामाजिक उद्यम निम्नलिखित स्थितियों में जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्टिंग को समाप्त कर देगा-

- जिस उद्देश्य के लिए धन जुटाया गया था, उसे प्राप्त कर लिया गया है और इस आशय का एक प्रमाण पत्र सोशल स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत कर दिया गया है, या
- जिस उद्देश्य के लिए धन जुटाया गया था, उसे हासिल करने की अवधि समाप्त हो गई है।

35. क्या सामाजिक उद्यमों द्वारा सूचीबद्ध उपकरण द्वितीयक बाजार यानी सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं?

उत्तर : लाभ-निरपेक्ष संगठनों द्वारा जारी किए गए उपकरण द्वितीयक बाजार में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध नहीं हैं। जबकि लाभार्थ संगठनों द्वारा जारी किए गए इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉक एक्सचेंजों के संबंधित प्लेटफॉर्म पर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं, जिस पर वे सूचीबद्ध हैं।

सामाजिक लेखा परीक्षक और सामाजिक प्रभाव आंकलन

36. सोशल ऑडिट या सामाजिक अंकेक्षण क्या है?

उत्तर : सोशल ऑडिट एक स्वतंत्र जाँच के माध्यम से सामाजिक उद्यमों द्वारा पूरे किए गए परियोजना/कार्यक्रम के सामाजिक प्रभाव के आंकलन को संदर्भित करता है। यह दृष्टि और वास्तविकता के बीच और दक्षता और प्रभावशीलता के बीच विसंगतियों को कम करने में मदद करता है।

37. सोशल ऑडिट फर्म क्या है?

सोशल ऑडिट फर्म एक इकाई है जिसने सोशल ऑडिटर्स को नियुक्त किया है और जिसका सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए न्यूनतम तीन वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड है।

38. सोशल ऑडिटर या सामाजिक अंकेक्षक के रूप में कौन कार्य कर सकता है?

एक व्यक्ति जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (या ऐसी अन्य एजेंसी, जिसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है) के संस्थान के तहत एक स्व-नियामकीय संस्थान के पंजीकृत है और जिसने नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट (राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान) द्वारा आयोजित प्रमाणन कार्यक्रम में अर्हता प्राप्त की है और उसके पास वैध प्रमाण पत्र है, सामाजिक लेखा परीक्षक या सोशल ऑडिटर के रूप में कार्य कर सकता है।

सामान्य

39. क्या किसी एनपीओ के पंजीकरण और बाजार से धन जुटाने के बीच कोई लॉक-इन या न्यूनतम अवधि है?

उत्तर : नहीं, किसी एनपीओ के पंजीकरण और बाजार से धन जुटाने के बीच कोई लॉक-इन या न्यूनतम अवधि नहीं है।

40. क्या फंड जुटाने के लिए मसौदा तैयार करने के लिए एक मर्चेन्ट बैंकर को नियुक्त करने की आवश्यकता है?

उत्तर : नहीं ऐसा जरूरी नहीं है।

41. क्या फंड जुटाए जाने वाले दस्तावेज के मसौदे पर एसएसई की तरफ से जारी टिप्पणियों के

लिए कोई वैधता अवधि है?

उत्तर : पूँजी जुटाए जाने के लिए मसौदा दस्तावेज पर एसएसई द्वारा जारी टिप्पणियों के लिए 6 महीने की वैधता अवधि होती है।

42. कृपया स्पष्ट करें कि एनपीओ द्वारा जुटाई गई राशि अनुदान के रूप में है या ऋण के रूप में?

उत्तर : एनपीओ द्वारा जुटाई गई धनराशि अनुदान के रूप में होगी।

43. क्या सेबी एआईएफ विनियमों के तहत पंजीकृत सोशल इंपैक्ट फंड के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रुमेंट्स का निजी प्लेसमेंट किया जाना चाहिए?

उत्तर : हाँ, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स का निजी प्लेसमेंट सेबी एआईएफ विनियमों के तहत पंजीकृत सोशल इम्पैक्ट फंड्स के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को किया जा सकता है।

44. क्या सोशल इम्पैक्ट फंड्स को जारी जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स के प्राइवेट प्लेसमेंट को सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना अनिवार्य है?

उत्तर : हाँ, सोशल इम्पैक्ट फंड्स को जारी जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स का प्राइवेट प्लेसमेंट सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना अनिवार्य है।

45. क्या एक जेडसीजेडपी इंस्ट्रूमेंट परियोजना के लिए सभी पूँजी एसएसई के माध्यम से जुटाए जाने हैं या कुछ इससे बाहर भी हो सकते हैं?

उत्तर : हाँ, जेडसीजेडपी इंस्ट्रूमेंट परियोजना को एसएसई के माध्यम से जुटाया जाना चाहिए, या कुछ इससे बाहर के भी हो सकते हैं। इस बारे में निर्धारित नियमों को देखा जा सकता है।

46. क्या एनजीओ/एनपीओ को विदेशी संस्थागत निवेशक या व्यक्तिगत अनिवासी दाताओं से धन जुटाने से पहले एफसीआरए पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता है?

उत्तर : विदेशी निवेशकों को वर्तमान में एसएसई के माध्यम से निवेश करने की अनुमति नहीं है।

47. विदेशी फंडिंग और स्थानीय फंडिंग को एक ही इंस्ट्रूमेंट में कैसे प्रबंधित किया जाएगा, या एनआरआई/विदेशी निवेशकों के लिए अलग-अलग विपत्र होंगे?

उत्तर : वर्तमान में विदेशी फंड्स की अनुमति नहीं है।

48. एनपीओ द्वारा एक बार किसी परियोजना के लिए प्रस्ताव रखे जाने के बाद पूँजी कैसे जुटाई जाएगी? निवेशक प्रस्तावों पर गौर करेंगे और एनपीओ के संपर्क में रहेंगे या एनपीओ को सक्रिय रूप से समर्थन माँगना होगा?

उत्तर : एसएसई मार्केटिंग में कोई भूमिका नहीं निभाएगा।

49. क्या निवेशकों को दानकर्ता माना जाएगा? प्राप्त पूँजी का हिसाब कैसे होगा?

उत्तर : हाँ। सामान्य अकाउंटिंग या लेखांकन सिद्धांत के अनुसार निवेशक को दाता माना जाएगा।

50. अगर जेडसीजेडपी इश्यू पूरी तरह से सब्सक्राइब नहीं हुआ तो क्या होगा?

उत्तर : इसे ऑफर दस्तावेज में निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होगी और यह मौजूदा विनियमों के अधीन होगा।

51. क्या जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट होल्डिंग हस्तांतरण योग्य होगी?

उत्तर : जेडसीजेडपी में ट्रेडिंग की अनुमति नहीं है, लेकिन उन्हें अन्य उद्देश्यों के लिए हस्तांतरित किया जा सकता है, जैसे कि कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरण।

52. क्या जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स प्रतिभूति लेनदेन कर के अधीन होंगे?

उत्तर : नहीं, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स प्रतिभूति लेन-देन के अधीन नहीं होंगे।

53. क्या एक सूचीबद्ध एनपीओ उसी परियोजना के लिए अन्य जेडसीजेडपी विपत्र के माध्यम से अतिरिक्त धन जुटा सकता है?

उत्तर : हाँ, सूचीबद्ध एनपीओ अन्य जेडसीजेडपी विपत्र के माध्यम से उसी परियोजना के लिए अतिरिक्त धन जुटा सकता है।

54. क्या एक सूचीबद्ध एनपीओ प्रत्येक परियोजना के लिए एक से अधिक जेडसीजेडपी इंस्ट्रूमेंट जारी कर एक से अधिक परियोजनाओं के लिए धन जुटा सकता है?

उत्तर : हाँ, सूचीबद्ध एनपीओ प्रत्येक परियोजना के लिए एक से अधिक जेडसीजेडपी इंस्ट्रूमेंट जारी करके एक से अधिक परियोजनाओं के लिए धन जुटा सकता है।

55. चूँकि सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड और डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड पे-फॉर-सक्सेस फंडिंग स्ट्रक्चर हैं, तो क्या एनपीओ को उन्हें जारी करने की अनुमति दी जाएगी?

उत्तर : हाँ, एनपीओ को सोशल इंपैक्ट बॉन्ड और डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड जारी करने की अनुमति होगी।

56. क्या सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बाहर एक पंजीकृत एनपीओ द्वारा जुटाए गए फंड को एलओडीआर के तहत वार्षिक प्रकटीकरण के हिस्से के रूप में ऐसे फंड के विवरण का खुलासा करना आवश्यक है?

उत्तर : हाँ, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बाहर पंजीकृत एनपीओ द्वारा जुटाए गए फंड को एलओडीआर के तहत वार्षिक प्रकटीकरण के हिस्से के रूप में ऐसे फंड के विवरण का खुलासा करना आवश्यक है।

57. क्या जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स की समाप्ति डिलिस्टिंग के बराबर है?

उत्तर : जी हाँ, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स की समाप्ति डीलिस्टिंग के बराबर है।

निवेशक

58. कॉरपोरेट्स के लिए फंडिंग सपोर्ट देने के लिए पंजीकरण कराने की क्या प्रक्रिया है?

उत्तर : कॉरपोरेट सामान्य निवेशक पंजीकरण प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।

59. क्या एफआईआई, एफपीआई या एनआरआई निवेशकों के जैसे विदेशी निवेशकों को विभिन्न एनपीओ फण्ड संग्रह में निवेश करने की अनुमति होगी?

उत्तर : एफआईआई, एफपीआई या एनआरआई निवेशकों के जैसे विदेशी निवेशकों को विभिन्न एनपीओ फण्ड संग्रह में निवेश करने की अनुमति नहीं होगी।